

11/04/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उभय
उपाधिकृत पदाकारण की वल्लभ सुनी वकील
पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का
अवलोकन व जांच किया गया। दोनों
पक्षों को दस्तावेजों की सत्यापित
कायम रखे जाने के मूल मद्द् के
अंतिम विचारण तक धार्मिक किया जाना
न्यायोचित है।

इस प्रार्थना के आधार पर निवेदना
उं धा 212 के तहत स्वीकार किया जाकर
आदेशा दिये जाते हैं कि नागरिकरण संख्या
892 दिवांसत्यमेव जयते के अन्तर्गत संख्या
307 के खसरा नंबर 538 एका 04 बीघा
12 चित्ता नाम औजपुरा कला, तहसील-फुकरा,
जिला-जयपुर में दोनों पक्ष रेकर्ड व
मौके की सत्यापित कायम रखें। ①

सहायक कलक्टर
साँभर लेक